पत्र सं0-स्था-1-पी0एफ0-सामान्य पत्राचार/2019-2020/ 4784 वाणिज्य कर।

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 24 जनवरी 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विभाग में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा स्वयं तथा अपने परिवार का इलाज कराये जाने के उपरान्त चिकित्सा दावा स्वीकृत किये जाने हेतु मुख्यालय पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रपत्र प्राप्त होते है। जो शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुरुप न पाये जाने के कारण चिकित्सा दावों को स्वीकृत किये जाने में अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है। फलत: दावों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में काफी विलम्ब होता है। परिणामत: तत्काल लाभ नही मिल पाता है।

अत: चिकित्सा दावों को समय से स्वीकृत किये जाने हेतु मुख्यालय अग्रसारित करने के पूर्व निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त बिन्दुवार सूचना के साथ चिकित्सा दावा मुख्यालय प्रेषित किया जाए।

1-इलाज कराने वाले संस्थान का नाम-सरकारी/निजी ।

2-चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु सर्टिफिकेट A/B निर्धारित प्रारुप में है अथवा नहीं।

3- (A) सर्टिफिकेट A/B में इलाज की अवधि अंकित है अथवा नहीं ।
(B) उसी के अन्तर्गत समस्त संलग्नक बिल/बाउचर अंकित है अथवा नहीं।
(C) यदि भर्ती होकर कराया है तो एडमिशन की तिथि एवं डिस्चार्ज की तिथि अंकित है अथवा नहीं।

4-दावे सम्बन्धी समस्त बिल बाउचर की मूल प्रतियां संलग्न है अथवा नहीं एवं सम्बंधित चिकित्सक द्वारा समस्त बिल वाउचर प्रतिहस्ताक्षरित सत्यापित है अथवा नहीं।

5-सर्टिफिकेट ए/बी पर डॉक्टर एंव सी0एम0ओ0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/सत्यापित है अथवा नहीं ।

6-निजी चिकित्सालय में इलाज के सम्बन्ध में डॉक्टर द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र है अथवा नहीं।

7.अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है अथवा नहीं।

8-चिकित्सा परिचर्या नियमावली-2011 के नियम-11(ख) के अनुसार आपात दशा में कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष को उपचार प्रारम्भ होने के एक माह के भीतर सूचना दिया गया है अथवा नहीं।

9-लाभार्थी द्वारा स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को चिकित्सा परिचर्या नियमावली-2011 के नियम-16 के उपचार समाप्ति के पश्चात 3 माह के भीतर परिशिष्ट-ग में चिकित्सा दावा प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं।

10-चिकित्सा परिचर्या नियमावली शासनादेश दि0-20-09-2011 यथा संशोधित शासनादेश दि0 04-03-2014 एवं शासनादेश दि0 27-10-2016 में निर्धारित किए गए प्रपत्रों के अनुसार चिकित्सा दावा प्रस्तुत है अथवा नहीं।

11-शासनादेश के अनुसार देय राशि।

अत: भविष्य में उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर ही चिकित्सा दावा मुख्यालय प्रेषित किये जाये।

ह0/-
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- 1.ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किये जाने हेतु।

2. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(डी0के0 सचान)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।